राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक – एफ 33(6) खा.वि./प्रोक्यो./RMS/2019-20-I जयपुर, दिनांक 25/04/22

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषय:- आरएमएस 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु किसानों के पंजीकरण में जनआधार कार्ड की अनिवार्यता में शिथिलता बाबत।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक दिशा-निर्देश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आरएमएस 2022-23 में ऑनलाइन माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 02 'पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज' के उप बिंदु 'पहचान सम्बन्धी दस्तावेज' में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है :-

" कृषक के जनआधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों (जिनके नाम से गिरदावरी है) द्वारा भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीयन से पूर्व पंजीयनकर्ता जनआधार कार्ड में जानकारी (खाता संख्या, मोबाइल नं. आदि) को अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगें। "

शेष जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित करने का श्रम करें। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(राकेश कुमार गुप्ता)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग/वित्त विभाग/राजस्व/खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजफैड / तिलम संघ, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें ।
5. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, जयपुर।
7. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
10. वरिष्ठ तकनिकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव